न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 65/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी–केम्प
दायरा दिनांक 7.8.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

गुलाबचंद आत्मज हरनाथ मीणा जाति मीणा निवासी बटवाडी तहसील हिण्डोली जिला बूंदी (राज0)।

..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी (राज0)

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री कैलाशचंद गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 12.2.2021

अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा मिसल संख्या 132/प्रा0/2014 पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 बउनवान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी बनाम श्री गुलाबचंद आ0 हरनाथ जाति मीणा निवासी बटवाडी तह0 हिण्डोली मे पारित निर्णय दिनांक 16.12.2015 से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राज0 राज्य जरिये तह0 हिण्डोली ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी के यहां गुलाबचंद आ0 हरनाथ जाति मीणा निवासी ग्राम बटवाडी तहसील हिण्डोली को दिनांक 18.1.1983 को ग्राम पपराला तहसील हिण्डोली की आराजी ख0 नं0 956/405 रकबा 5 बिस्वा भूमि के हुये आवंटन को निरस्त करने हेतु पेश किया गया। अति0 जिला कलक्टर बूंदी ने तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 16.12.2015 को स्वीकार कर आवंटी गुलाबचंद आ0 हरनाथ जाति मीणा नि0 बटवाडी को हुये ग्राम पपराला की आराजी ख0 नं0 405 रकबा 5 बिस्वा को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियिम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि ग्राम पपराला तह0 हिण्डोली स्थित कृषि भूमि ख0 सं0 556/405 रकबा 10 बिस्वा दिनांक 18.1.83 को अपीलांट को आवंटित की गई थी तब से अपीलांट निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। ख0 नं0 405 रकबा 10 बिस्वा मे से 5 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फोरलेन के लिये आवाप्त कर ली गई थी तथा 5 बिस्वा आवाप्त की गई भूमि का मुआवजा अपीलांट को दिया जाकर उक्त आवाप्त की गई भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम अंकित कर दी गयी तथा शेष भूमि 5 बिस्वा पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है। पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 30.6.14 अनुसार 5 बिस्वा भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होना बताया है जिसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जबकि तहसीलदार हिण्डोली ने अपने प्रार्थना पत्र मे देवनारायण समिति इन्दूदा का कब्जा होना अंकित किया है। उक्त दौनो मे भिन्न–भिन्न तथ्य पेश किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन नही कर अपीलांट का आवंटन निरस्त करने मे त्रुटि की है। आवंटन के समय से ही आवटित भूमि पर अपीलांट का लगभग 33 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है जिसके समर्थन मे खसरा गिरदावरी संवत 2067 से 70 पेश की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। अपीलांट ने

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 21.7.15 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0 दी0 का आंवटित भूमि ख0 नं0 556/405 रकबा 5 बिस्वा ग्राम पपराला की नायब तहसीलदार हिण्डोली को कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की जाने बावत प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर त्रुटि की है क्योंकि कब्जे की सत्यता के लिए अधीनस्थ न्यायालय को मौका रिपोर्ट तलब करनी चाहिये थी ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विभिन्न नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन नही किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बूंदी का निर्णय दिनांक 16.12.2015 निरस्त किया जाकर कृषि भूमि ख0 सं0 556/405 रकबा 5 बिस्वा ग्राम पपराला का आवंटन बहाल कर गैरखातेदारी से खातेदारी मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 के जरिये नोटिस/सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस मे अपील मिमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को ग्राम पपराला मे कृषि भूमि ख0 सं0 556/405 रकबा 10 बिस्वा दिनांक 18.1.83 को आवंटित की गई थी तब से अपीलांट निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। ख0 नं0 405 रकबा 10 बिस्वा मे से 5 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फोरलेन के लिये आवाप्त कर ली गई थी तथा 5 बिस्वा आवाप्त की गई भूमि का मुआवजा अपीलांट को दिया जाकर उक्त आवाप्त की गई भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम अंकित कर दी गयी तथा शेष भूमि 5 बिस्वा पर अपीलार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि ख0 गिरदावरी सं0 2067–70 से होती है। पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 30.6.14 अनुसार 5 बिस्वा भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होना बताया है जिसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जबकि तहसीलदार हिण्डोली ने अपने प्रार्थना पत्र मे देवनारायण समिति का कब्जा होना बताया है। इस प्रकार दौनो भिन्न तथ्य है। आवंटी को उक्त कृषि भूमि का आवंटन हुये लगभग 33 वर्ष हो चुके है ऐसी स्थिति मे इतनी लम्बी अवधि बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। विद्वान अभिभाषक अपी0 ने बहस मे यह भी बताया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 21.7.15 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 जा0 दी0 का आंवटित भूमि के संबध मे कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर त्रुटि की है क्योंकि कब्जे की सत्यता के लिए अधीनस्थ न्यायालय को मौका रिपोर्ट तलब करनी चाहिये थी ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक नजीरों आरबीएस (8) 2001 पेज 558 आरआरडी 1992 पेज 266 आरआरटी 2003 (1) पेज 501 का ध्यानपूर्वक अवलोकन नही कर जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4 रेस्पोडेन्ट एवं उसके अभिभाषक प्रकरण मे दौराने बहस उपस्थित नही है।

5 पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर हैं। अतः प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने से पूर्व मियाद के बिंदु पर विचार किया जाना न्याायोचित हैं। अपीलार्थी द्वारा डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना–पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि अपीलांट्स को मौका रिपोर्ट की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 23.12.15 को आवेदन किया गया एवं दिनांक 27.1.2016 को नकल प्राप्त हुई इस प्रकार अपील जानकारी से अंदर अवधि पेश की है यदि फिर भी विलम्ब माना जावे तो न्यायहित मे क्षम्य योग्य है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों के समर्थन में अपीलांर्थी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 एवं उसके अभिभाषक उपस्थित नही है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों के खण्डन मे पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही हैं ऐसी स्थिति में शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं हैं। फलत् अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। आवंटन आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को दिनांक 18.1.1983 को आवंटन सलाहकार समिति केम्प पेच की बावडी मे ग्राम पपराला मे स्थित सिवायचक भूमि ख0 नं0 405 रकबा 10 बिस्वा का आवंटन किया गया था। रेस्पो0 तहसीलदार हिण्डोली द्वारा वर्ष 2014 मे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि ख0 सं0 956/405 रकबा 5 बिस्वा भूमि पर आंवटी गैरखातेदार दर्ज है। आवंटी ने आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति श्री देवनारायण समिति इटून्दा रोड का कब्जा काश्त है। आवंटित भूमि काबिल काश्त नही है। अतः उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होना मानते हुये तहसीलदार हिण्डोली द्वारा वर्ष 2014 मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) को स्वीकार कर अपीलार्थी को हुये भूमि आवंटन को निर्णय दिनांक 16.12.2015 से खारिज किया गया। हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी पर मनन किया। प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि उसको उक्त वणित आराजी 10 बिस्वा का दिनांक 18.1.1983 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया गया था। ख0 नं0 405 रकबा 10 बिस्वा मे से 5 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा फोरलेन के लिये आवाप्त कर ली गई थी जिसका मुआवजा अपीलांट को दिया जाकर उक्त आवाप्त की गई भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम अंकित कर दी गयी तथा शेष भूमि 5 बिस्वा पर अपीलार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसकी पुष्टि ख0 गिरदावरी सं0 2067–70 से होती है। पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 30.6.14 अनुसार 5 बिस्वा भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होना बताया है जिसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जबकि तहसीलदार हिण्डोली ने अपने प्रार्थना पत्र मे देवनारायण समिति का कब्जा होना बताया है। इस प्रकार दौनो भिन्न तथ्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही 33 वर्ष बाद अपीलार्थी को हुये भूमि आवंटन को जेरअपील निर्णय से निरस्त कर त्रुटि की है।

7 पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी व खसरा गिरदावरी संम्वत 2067–70 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित उक्त भूमि आवंटी की गैखातेदारी मे दर्ज है जिसमें से ख0 नं0 956/405 रकबा 5 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आवाप्त की जाकर उसके नाम दर्ज रिकार्ड की गई है। ऐसी स्थिति मे 33 वर्षो बाद तहसीलदार/पटवारी का यह कहना कि "आवंटी का कब्जा नही होने से आवंटन शर्तो की पालना नही की गई तथा अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त है" बईमानी है। यहां यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि दिनांक 18.1.1983 को गुलाब चंद को उक्त भूमि आवंटित हुई थी, पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 30.6.2014 मे आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नही होना तथा अन्य व्यक्ति का कब्जा होना किस आधार पर बताया गया है, यह तथ्य समझ से परे है। यहां यह भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि तहसीलदार हिण्डोली द्वारा आवंटी के एलोटमेंन्ट को निरस्त कराने हेतु वर्ष 2014 मे नियम 14(4) अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उक्त भूमि पर देवनारायण समिति इन्टूंदा रोड का कब्जा होना तथा भूमि काबिल काश्त नही है वर्णित किया है। जब आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन 1983 मे हुआ है तो 33 वर्ष बाद आज भूमि पर कब्जा काश्त नही होना, देवनारायण समिति का कब्जा होना, तथा भूमि काबिल काश्त नही होने जैसे तथ्य कैसे स्पष्ट होगे। प्रकरण मे यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.6.2014 मे भिन्न–भिन्न तथ्य अंकित किये गये है तहसीलदार हिण्डोली द्वारा उक्त भूमि पर देवनारायण समिति का कब्जा होना तथा भूमि काबिल काश्त नही होने से

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, – कोटा

आवंटन निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया जबकि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 30.6.2014 मे अन्य व्यक्ति का कब्जा होना बताया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि राजस्व ऐजेन्सीयों द्वारा अपना कर्तव्य का निर्वहन नही करते हुये आवंटी के अधिकारों की रक्षा नही कर बेदखली कराने पर आमादा है, जो बदनियति को प्रकट करता है। विभिन्न न्यायिक नजीरों मे भी यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अतिक्रमियों के कब्जे के आधार पर आंवटी के आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता।

8 अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी ने भी प्रकरण मे निर्णय पारित करने से पूर्व यह नही देखा कि जिस भूमि के संबध मे वह निर्णय पारित कर रहे है उसके 33 साल पहले के तथ्य क्या है। निशिचित रूप से अति0 जिला कलक्टर बूंदी ने भी तथ्यों को समझने मे भारी भूल की है क्योंकि वर्ष 1983 से लेकर 2015 तक उक्त विवेचित कृषि भूमि के संबध मे किसी भी राजस्व ऐजेन्सी द्वारा कोई प्रश्न नही उठाया गया है तथा ना ही आवंटी को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही की गई। जबकि 10 वर्षो के पश्चात स्वतः ही आवंटी को खातेदारी मिल जाते है। उक्त आवंटित भूमि की आवंटी को आज तक खातेदारी नही दिया जाना संबधित राजस्व ऐजेन्सीयों की लापरवाही की पराकाष्ठा है। जबकि आवंटी गुलाबचंद को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। ऐसी स्थिति मे इस भूमि पर उत्पन्न अधिकारों को बिना सक्षम आदेश के समाप्त/अन्तरण नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो को समझने मे भूल की है। इस संबध मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रश्नगत प्रकरण मे प्रस्तुत किये गये तर्को की पुष्टि होती है। साथ ही ऐसे प्रकरणो की पुनरावृत्ति नही हो यह न्यायालय यह भी निर्देश देता है कि " जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर स्वयं इस तथ्य की जांच करे कि इस प्रकार यह लापरवाही पूर्ण कार्यवाही पटवारी/तहसीलदार द्वारा क्यों आरम्भ की गई। संबधित पटवारी/तहसीलदार के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करके अवगत कराया जावे। जब आवंटी को वर्ष 1983 मे उक्त वर्णित भूमि का आवंटन किया गया है तो आज क्यों यह तथ्य सामने लाया जा रहा है कि "उक्त कृषि भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही है तथा भूमि काबिल काश्त नही है"। सरसरी तौर पर अपीलांट का आवंटन निरस्त करने से तथा उसको जमीन से बेदखल करने से न्याय के साथ कुठाराघात होगा। उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायहित मे प्रकरण मे हमारा यह भी अभिमत है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि पर आवंटी को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जावे। साथ ही धारा 183–बी के तहत कार्यवाही करके उसके अधिकारों की रक्षा की जावे। इन निर्देशों की 3 माह की अवधि मे पालना कर इस न्यायालय को अवगत करावे। परिणामस्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण सं0 132/प्रा0/14 सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली बनाम गुलाबंचद आ0 हरनाथ मे पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 16.12.2015 अपास्त किया जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 12.2..2021 को मेरे द्वारा केम्प कोर्ट बूंदी मे लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

12/2/2021

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा